

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की वित्तीय स्थिति पर यह प्रतिवेदन, वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने एवं वित्तीय आकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमण्डल को संकेत करती है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) (संशोधन) अधिनियम 2016, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं 2019–20 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय—I प्रदेश सरकार के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय—II वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2020 को जीओयूपी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं ऋण प्रबंधन पर व्यय की प्रवृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है।

अध्याय—III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रदान करता है।

अध्याय—IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय—V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, इक्विटी एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि पर एक विहंगावलोकन है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है, वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य ने राजकोषीय आधिक्य एवं राजस्व आधिक्य क्रमशः ₹ 11,083 करोड़ एवं ₹ 67,560 करोड़ प्राप्त किया है। कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (28 प्रतिशत), बजट अनुमानों/मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) (29.98 प्रतिशत), यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 (30.00 प्रतिशत) एवं चौदहवें वित्त आयोग (31.67 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरित कर दिया। किसी वास्तविक नगद प्राप्ति के बिना असाधारण लेनदेन होने के कारण, इससे राज्य का राजकोषीय तथा राजस्व आधिक्य प्रभावित हुआ है। अतः वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 67,560 करोड़ के राजस्व आधिक्य एवं ₹ 11,083 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की राजस्व प्राप्ति में बिना वास्तविक रोकड़ की प्राप्ति के अंतरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.4.1, 1.4.2, 1.5 एवं 1.6.1)

बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 3,66,393 करोड़) बजट अनुमान (₹ 3,91,734 करोड़) की तुलना में ₹ 25,341 करोड़ कम थी। बजट अनुमानों के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों में कमी भारत

सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति एवं बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी के सापेक्ष में स्वयं के कर राजस्व संग्रहण में कमी के कारण थी। राजस्व व्यय (₹ 2,98,833 करोड़) बजट अनुमान (₹ 3,63,957 करोड़) से ₹ 65,124 करोड़ कम था। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत परिव्यय (₹ 59,998 करोड़) बजट अनुमान (₹ 77,641 करोड़) से ₹ 17,643 करोड़ कम था।

(प्रस्तर 1.4.1 एवं 1.5.2)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

लेखे के अनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 3,66,393 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,22,826 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 81,705 करोड़), संघ करों और शुल्कों का अंश (₹ 1,17,818 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 44,044 करोड़) सम्मिलित थे। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,22,826 करोड़) में 2018–19 की तुलना में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य आबकारी, वाहनों पर कर और विद्युत पर कर और शुल्क में वृद्धि के कारण हुई। करेतर राजस्व में वर्ष 2018–19 की तुलना में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को करेतर राजस्व में अंतरित करने के कारण हुई। प्रभावी रूप से, वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व (निक्षेप निधि के अंतरण को छोड़कर) की प्राप्ति ₹ 10,525 करोड़ थी, जो वर्ष 2018–19 के दौरान करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थी।

(प्रस्तर 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.3.1 एवं 2.3.4)

राजस्व व्यय (₹ 2,98,833 करोड़) कुल व्यय का मुख्य घटक बना रहा और इसका हिस्सा 2015–16 में 74.31 से बढ़कर 2019–20 में 82.79 प्रतिशत हो गया। वेतन और मजदूरी, पेशन एवं ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 1,84,604 करोड़) राजस्व प्राप्ति का 50.38 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 2.4.2 एवं 2.4.4)

पूँजीगत व्यय (₹ 59,998 करोड़) में वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 3.95 प्रतिशत की कमी आयी। इसके अतिरिक्त, सभी तीनों क्षेत्रों सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(प्रस्तर 2.4.5)

समेकित निक्षेप निधि

सरकार ने अपनी अवशेष देयताओं के विमोचन हेतु एक समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना था एवं इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रशासित किया जायेगा। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार विद्यमान निक्षेप निधि के मार्च 2020 के अंत तक अवशेष राशि को समेकित निक्षेप निधि में अंतरित करना था। तथापि, राज्य सरकार ने विद्यमान निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य के गैर कर राजस्व में हस्तान्तरित (30 मार्च 2020) कर दिया।

राज्य सरकार का सामान्य नकद अवशेष 31 मार्च 2020 को ₹ 21,386.75 करोड़ था जो कि निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स (गैर कर राजस्व में हस्तान्तरण से पूर्व) से कम था। तथापि, निक्षेप निधि अवशेष को घटाकर शून्य करने पर राज्य सरकार के पास ₹ 2,91,185.86 करोड़ की धनराशि के इसके खुले बाजार के ऋणों के ऋण परिशोधन हेतु 31.03.2020 को निक्षेप निधि/समेकित निक्षेप निधि में कोई धनराशि नहीं थी। अग्रेतर, विद्यमान निक्षेप निधि के गैर कर राजस्व में जमा धन का ऋणशोधन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए इसका सृजन किया गया था। ऋणों के पुनर्भुगतान

के लिये समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय विवेकशीलता की इस कमी के निराकरण की आवश्यकता है।

निक्षेप निधि को बंद करते हुए राज्य सरकार ने संघ एवं राज्यों हेतु मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में निर्धारित लेखा सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया। अग्रेतर, ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अंतरण बिना वास्तविक नगद प्राप्ति के मात्र एक पुस्तकीय समायोजन था। अतः वर्ष 2019–20 के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की राजस्व प्राप्तियों में अंतरण के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

संस्तुति : राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि की अवशेष धनराशि को वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेशित किया जाये न कि यह केवल बुक प्रवृष्टि हो। समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में वांछित है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधि में वार्षिक अंशदान बकाया देयताओं का कम से कम 0.5 प्रतिशत हो। अग्रेतर, निधि से अन्तरण को राजस्व प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिये और ऋण के विमोचन पर ऋण के पुनर्भुगतान के समान धनराशि को निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 (विविध शासकीय लेखे) में अन्तरित किया जाना चाहिये।

(प्रस्तर 2.5.2.1)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार के इस दिशानिर्देश कि एसडीआरएफ का संचालन “ब्याज सहित आरक्षित निधि” के अंतर्गत किया जाना चाहिए, के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ का संचालन “ब्याज रहित आरक्षित निधि” के अंतर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष राशि को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए निधि के निवेश रहित अवशेष पर ₹ 116.55 करोड़ के ब्याज को जमा नहीं किया था।

संस्तुति : राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को “ब्याज सहित आरक्षित निधियां” श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को निधि में प्रेषित करना चाहिए। राज्य सरकार को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी करना आवश्यक है।

(प्रस्तर 2.5.2.2)

आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियों के विमोचन के उद्देश्य से, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 में 23 संस्थाओं यथा साविधिक निगम, सरकारी कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति दी। वर्ष 2019–20 के अंत में, ₹ 1,18,696.49 करोड़ की शेष प्रत्याभूति थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन संघ और राज्यों के लिए मुख्य और लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लघु शीर्ष में नहीं किया जा रहा है।

संस्तुति : राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का सुजन एवं परिचालन करना चाहिये। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्याभूति शुल्क की शीघ्र वसूली हो। सरकार को उन

संस्थाओं की वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिये जिन्होंने प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया है और/या जिनके लेखे बकाया हैं। अग्रेतर, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुरूप किया जाना चाहिये।

(प्रस्तर 2.5.2.3 एवं 2.7.2.2)

बिना विधायी प्राधिकार के व्यय

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा भूमि के क्रय एवं कार्यालय भवन समूह के निर्माण पर व्यय ₹ 51.21 करोड़ के विधायी प्राधिकार को सुनिश्चित करने में असफल रही, जो संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन था।

संस्कृति : राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को विधानमंडल के प्राधिकार के बिना यूपीईआरसी के भवन निर्माण पर व्यय के कारणों की जांच एवं जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.2.1)

व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2019–20 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूँजीगत एवं पूँजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व अधिशेष के ₹ 85.01 करोड़ आधिक्य के रूप में परिणित हुआ।

संस्कृति : कुछ व्यय मदों का पूँजीगत या राजस्व प्रक्रिया के रूप में वर्गीकरण कुछ मानक मदों में सम्मिलित था, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में बताया गया है, इसे यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) के साथ सरेखित करने हेतु समीक्षा एवं निवारण की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 एवं 3.2.2.3)

एकमुश्त प्रावधान

यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) में निहित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ₹ 6,767.78 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान बजट में आवंटित किए गए थे एवं इन प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 6,572.33 करोड़ (प्रावधान का 97 प्रतिशत) का व्यय हुआ।

संस्कृति : एकमुश्त बजटीय प्रावधान यूपीबीएम के प्रस्तर 31 का उल्लंघन है और यूपीबीएम के प्रावधानों के आलोक में इसे प्रतिबंधित या पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है।

(प्रस्तर 3.2.3)

व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के प्राधिकार से ₹ 10.71 लाख का अधिक संवितरण था। विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय को राज्य के पिछले राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नियमित रूप से बताया गया है। तथापि, वर्ष 2005–06 से 2018–19 तक के 102 अनुदानों और 46 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.25 करोड़ के व्ययाधिक्य के प्रकरणों को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक विनियमित नहीं किया गया है।

संस्तुति : विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय (2005-06 से 2019-20 की अवधि से सम्बन्धित) सविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.2.4.1 एवं 3.2.4.2)

बचतें

2019-20 के दौरान ₹ 5,26,809.22 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 1,27,382.47 करोड़ की बचतें हुई जो कुल बजटीय प्रावधानों का 24.18 प्रतिशत था। इतनी बड़ी बचतें राज्य सरकार द्वारा योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में व्यापक अंतर का सूचक है। 49 अनुदानों के 71 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक में, ₹ 1,24,946.48 करोड़ की बचतें हुईं। अग्रेतर, अनुदान में मूल आवटन के सापेक्ष बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान का प्रावधान अन्य विभागों को निधियों के संवितरण को रोकता है।

संस्तुति : अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन निधि आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग निधियों के उपयोग को इष्टतम करने हेतु संबंधित विभागों को संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान में सुधार करने हेतु परामर्श दे सकता है।

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 एवं 3.3.5)

व्यय की अनुचित तीव्रता

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का संकेन्द्रण सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। चार अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम महीने अर्थात् मार्च 2020 में किया गया। अग्रेतर, अनुदान संख्या 44 – पर्यटन विभाग में ₹ 276.95 करोड़ के मार्च 2020 के दौरान व्यय से ₹ 100 करोड़ को वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते में अन्तरित किया गया जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक विभागों को निर्गत दिशानिर्देशों (मार्च 2018), जिसमें संचित निधि से धन आहरित कर वैयक्तिक निक्षेप/वैयक्तिक लेजर खाते में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, का उल्लंघन था।

संस्तुति : सरकार व्यय की रिश्तर गति को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विशेष रूप से मार्च में व्यय की अनुचित तीव्रता को नियन्त्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

(प्रस्तर 3.3.6)

बचतों के अभ्यर्पण में विलम्ब

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,27,382.47 करोड़ की कुल बचत में से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन मात्र ₹ 19,658.69 करोड़ अभ्यर्पित किए गये एवं शेष ₹ 1,07,723.78 करोड़ व्यपगत हो गये।

संस्तुति : 25 मार्च तक निधियों के अभ्यर्पण के संबंध में यूपीबीएम के प्रस्तर 141 के निर्देशों के अनुपालन में निधियों के इष्टतम उपयोग और बजटीय अनुशासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.3.8)

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का शासकीय लेखाओं के माध्यम से लेखाकरण न अपनाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि एकत्रित की गयी तथा कितनी धनराशि ₹०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) को हस्तांतरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2015–16 से 2019–20 के दौरान पंजीकृत कार्यों पर व्यय उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 3.81 प्रतिशत से 7.20 प्रतिशत के मध्य था एवं 5.55 से 23.36 प्रतिशत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

संस्तुति : ₹०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उपर बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ₹ 110.16 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखा से बाहर रखी गयीं।

संस्तुति : राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.1.2)

राज्य सरकार के ऋणों को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण संकेतकों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर बजटीय ऋणों का सहारा लिया। परिणामस्वरूप, ऋण स्टाक ₹ 5,107.58 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2019–20 के दौरान संज्ञान में लिये गये ऋण स्टाक ₹ 5,02,412.02 करोड़ एवं जीएसडीपी से ऋण स्टाक अनुपात 28.00 प्रतिशत के सापेक्ष ये क्रमशः ₹ 5,07,519.60 करोड़ एवं 28.28 प्रतिशत हो गये।

संस्तुति: राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.2)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु ₹ 2,023.76 करोड़ को अग्रेतर निवेश हेतु नामित निधि प्रबन्धक को प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश कोष का हिस्सा नहीं बन सका।

संस्तुति: राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर-हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होना

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015–16 से 2019–20 के दौरान ₹ 536.38 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

संस्तुति: सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

(प्रस्तर 4.4)

उपभोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब

2001–02 से 2018–19 (सितम्बर 2018 तक) की अवधि के दौरान निर्गत अनुदानों हेतु 31 मार्च, 2020 तक ₹ 15,697.94 करोड़ के कुल 41,376 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धन का उपभोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के उच्च लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई है।

संस्तुति: सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।

(प्रस्तर 4.5)

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

संक्षिप्त आकस्मिक बिल (एसी बिल) को आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजित करने हेतु कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 31 मार्च 2020 तक ₹ 17.06 करोड़ के अग्रिम वाले 1,323 संक्षिप्त आकस्मिक बिल समायोजन हेतु लंबित थे जिसमें वर्ष 2017–18 तक आहरित 1,185 एसी बिल सम्मिलित थे।

संस्तुति: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।

(प्रस्तर 4.6)

वैयक्तिक जमा खाता

कुल 781 वैयक्तिक लेजर खातों (पीएलए)/वैयक्तिक जमा खातों (पीडी) में से, 225 पीएलए/पीडी खाते जिनमें ₹ 11.95 करोड़ की अवशेष धनराशि थी, पिछले तीन वर्षों से असंचालित थे। इन असंचालित पीएलए/पीडी खातों को राज्य सरकार द्वारा बंद नहीं किया गया जोकि उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998 में निहित कोडल प्रावधानों का उल्लंघन है।

संस्तुति: वित्त विभाग को सभी पीडी खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये करनी चाहिए कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल संचित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमों/कोडल प्रावधानों में निहित निर्देशों को दोहराना चाहिए एवं यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है।

(प्रस्तर 4.7)

लघु शीर्ष 800 तथा मानक मद 42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2019–20 के दौरान, व्यय पक्ष में 82 राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 36,247.60 करोड़ की धनराशि एवं प्राप्ति पक्ष में ₹ 76,255.58 करोड़ की धनराशि सम्बंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/प्राप्तियों में अभिलेखित की गयी। लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि का लेखांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान मानक मद '42–अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 11,820.86 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 3,83,351.68 करोड़ का 3.08 प्रतिशत था। 18 अनुदानों में मानक मद '42–अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया व्यय उन अनुदानों के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था। मानक मद '42–अन्य व्यय' में बड़ी राशियों का वर्गीकरण किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुति: वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियां और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 4.8 एवं 4.9)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 पीएसयूज थे जिनमें छः सांविधिक निगम एवं 107 सरकारी कम्पनियां (जिनमें 44 अकार्यरत कम्पनियां सम्मिलित हैं) थीं। यह प्रतिवेदन 33 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित करता है जिनके लेखे तीन या अधिक वर्ष से बकाया नहीं थे एवं कार्यरत थे अथवा समाप्त के अधीन नहीं थे। इन 33 पीएसयूज ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 69,786 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019–20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.89 प्रतिशत के बराबर थे।

(प्रस्तर 5.1)

उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

31 मार्च 2020 को 33 पीएसयूज जिनके वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया है, में कुल निवेश ₹ 2,21,303.75 करोड़ था। निवेश में पूँजी के लिये 59.44 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन ऋण के लिये 40.56 प्रतिशत सम्मिलित था। इनमें से इन पीएसयूज में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,31,849.34 करोड़ है जिसमें पूँजी ₹ 1,28,647.69 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,201.65 करोड़ सम्मिलित है।

2019–20 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 33 पीएसयू द्वारा उठाई गयी कुल हानि ₹ 14,210.90 करोड़ थी। इन 33 पीएसयूज में से, 15 पीएसयूज ने ₹ 517.61 करोड़ लाभ कमाया तथा 18 पीएसयूज ने ₹ 14,728.51 करोड़ की हानि उठाई। शीर्ष हानि उठाने वाले पीएसयूज उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,118.80 करोड़) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,567.16 करोड़) एवं शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 167.37 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 123.75 करोड़) थे।

(प्रस्तर 5.2 एवं प्रस्तर 5.6)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान

राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। तथापि, 31 मार्च 2020 को 64 पीएसयूज के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के सम्बन्ध में अन्तर विद्यमान थे। इसके बावजूद कि अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयूज एवं विभागों के साथ इस मुद्रे को समय—समय पर उठाया गया है, आंकड़ों में यह अन्तर पिछले बहुत वर्षों से सतत बना हुआ है।

संस्कृति: राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़ों के अन्तर को जीओयूपी के वित्त लेखाओं और पीएसयूज के अभिलेखों के आधार पर समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिये।

(प्रस्तर 5.4)

बकाया लेखे

69 कार्यरत पीएसयूज में से केवल तीन पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के लिये अपने लेखे प्रस्तुत किये और शेष 66 कार्यरत पीएसयूज के 255 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयूज में से एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2019–20 के लिये अपने लेखे प्रस्तुत किये, 41 पीएसयूज के 674 लेखे बकाया थे और शेष दो पीएसयूज के समापन में जाने के तिथि को कोई लेखा बकाया नहीं था। जीओयूपी ने 107 में से 41 पीएसयूज में लेखाओं के बकाया की अवधि के दौरान ₹ 59,832.24 करोड़ (पूँजी: ₹ 18,681.08 करोड़, ऋण: ₹ 1,837.27 करोड़, अनुदान: ₹ 15,525.07 करोड़ एवं सक्षिप्ती: ₹ 23,788.82 करोड़) प्रदान किये।

संस्कृति: प्रशासनिक विभाग को पीएसयूज के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिये एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिये। सरकार पीएसयूज के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है एवं लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठा सकती है।

(प्रस्तर 5.16)